



Case No. 44/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/DEV-3274/JH/2/2024-ESDW-RU-IV

1 श्री लोकेश मिश्रा
उपायुक्त,
समाहरणालय खूँटी, कमरा संख्या-4,
खूँटी, झारखंड 835210
Email Id: dc-kht-jhr@nic.in
Tel. No: 06528221777

2 श्री अमन कुमार
पुलिस अधीक्षक,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कदमा
खूँटी, झारखंड 835210
Email Id: sp-khunti@jhpolic.gov.in
Tel. No: 9431706116

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 17/04/2025 को 12:40 P.M बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :-

- संदर्भ 1 (i) नाम-पता बदलकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य की जमीन पर साजिश के तहत दखल-कब्जा करने की कोशिश करने के सम्बन्ध में श्रीमति इन्दुमती भेंगरा, पति - श्री हेरमन भेंगरा, ग्राम - मैदान टोली (कदमा), थाना - खूँटी, जिला - खूँटी का आभ्यावेदन।
(ii) आयोग का सीटिंग नोटिस दिनांक 18.03.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 09/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर



NIC for upload



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/DEV-3274/JH/2/2024-ESDW

दिनांक :09.04.2025

सेवा मे

श्रीमति इन्दुमती भेंगरा,
पति - श्री हेरमन भेंगरा,
ग्राम - मैदान टोली (कदमा),
थाना - खूंटी, जिला - खूंटी,
झारखण्ड - 835210,
मो न :7320000345

विषय : नाम-पता बदलकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य की जमीन पर साजिश के तहत दखल-
कब्जा करने की कोशिश करने के सम्बन्ध में

महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **17.04.2025 समय 12.40 A.M** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)

अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading